क्यू/सीएडी/798/01/2016

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

कैडर कक्ष

चौथी मंजिल, जेएन भवन,

जनपथ, नई दिल्ली ,

दिनांक – 08 अप्रैल, 2016

परिपत्र

विषय : मसौदा भर्ती नियमों पर टिप्पणी

विदेश मंत्रालय नीचे दिए विवरणों के अनुसार निम्नलिखित भर्ती नियमो (आरआर) को बनाने का प्रस्ताव करता है। मसौदा भर्ती नियम (आरआर) तदनुसार तैयार किए गए हैं तथा इसके साथ संलग्न हैं।

क) प्रतिनियुक्ति सह समामेलन आधार पर अनुभाग अधिकारी तथा सहायक के पद के लिए भर्ती नियम।

ख) विदेश मंत्रालय में अताशे (साइबर सुरक्षा) के पद के लिए भर्ती नियम।

ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मॉडल के आधार पर स्टाफ कार ड्राइवरों के पद के लिए भर्ती नियमों की फिर से अधिसूचना।

2. तदनुसार, सभी हितधारकों, अर्थात, मंत्रालय/विभाग, सर्विस एसोसिएशने तथा व्यक्तिगत अधिकारी अधिकतम 11 मई, 2016 तक भर्ती नियमों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं। टिप्पणियां ईमेल के द्वारा uscadre@mea.gov.in पर भी प्रस्तुत की जा सकती हैं।

हस्ता/-

(विप्रा पांडेय)

भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाष – 4901 5368

दूरभाष – 4901 5468

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या यह सेलेकशन पद है या गैर-सेलेकशन पद है	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
अनुभाग अधिकारी	13 (स्वीकृत बल का 2%)	सामान्य केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'बी', गैर- राजपत्रित, मिनिस्टीरियल	वेतन बैंड-2 9300-34800 और ग्रेड वेतन 4800 या ग्रेड वेतन रूपये 5400/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वालों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है	भर्ती की विधि क्या सीधी भर्ती से है या पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ समामेलन आधार पर और विभिन्न विधियों द्वारा रिक्तियों को भरे जाने का प्रतिशत	भर्ती के पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /समामेलन द्वारा किए जाने की स्थिति में ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /समामेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति उपलब्ध है तो इसकी संरचना क्या है	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	2 वर्ष (सेवानिवृत्ति से पहले पुन: रोजगार प्राप्त	डेपुटेशन/समामेलन	डेपुटेशन: केंद्र सरकार के अधिकारी जो 5 वर्षों की अवधि के लिए नियमित आधार पर	लागू नहीं	समामेलन और सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को पुन: रोजगार

	अधिकारियों के लिए)		समान पदधारी हैं <u>समामेलन</u> केंद्र सरकार के अधिकारी जिन्होंने समान पद पर 3 वर्षों की अवधि के लिए डेपुटेशन पर विदेश मंत्रालय में कार्य किया है। सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए: डेपुटेशन/पुन: रोजगार सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है तथा जिनके पास निर्धारित अपेक्षित अनुभव और योग्यता है, के नामो पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक डेपुटेशन नियम एवं शर्तें प्रदान की जाएंगी, जिस तारीख तक वे सशस्त्र सेवाओं से रिलीज़ के लिए देय हैं, इसके पश्चात वे पुन: रोजगार पर बने रह			के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श जरूरी है।

			सकते हैं।		

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान**	**क्या यह सेलेकशन पद है या गैर-सेलेकशन पद है**	**सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा**	**सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

सहायक	14 (**स्वीकृत बल का** 2%)	**सामान्य केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'बी', गैर- राजपत्रित, मिनिस्टीरियल**	**वेतन बैंड**-2 9300-34800 **और ग्रेड वेतन** 4600	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वालों के मामले में लागू होंगी	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है**	**भर्ती की विधि क्या सीधी भर्ती से है या पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ समामेलन आधार पर और विभिन्न विधियों द्वारा रिक्तियों को भरे जाने का प्रतिशत**	**भर्ती के पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /समामेलन द्वारा किए जाने की स्थिति में ग्रेड जहां से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /समामेलन किया जाएगा**	**यदि विभागीय पदोन्नति समिति उपलब्ध है तो इसकी संरचना क्या है**	**भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
लागू नहीं	2 **वर्ष (सेवानिवृत्ति से पहले पुन: रोजगार प्राप्त अधिकारियों के लिए)**	**डेपुटेशन/समामेलन**	**डेपुटेशन**: **केंद्र सरकार के अधिकारी जो** 5 **वर्षों की अवधि के लिए नियमित आधार पर** **समान पदधारी हैं** **समामेलन** **केंद्र सरकार के अधिकारी जिन्होंने समान पद पर** 3 **वर्षों की अवधि के लिए**	**लागू नहीं**	**समामेलन और सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को पुन: रोजगार के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श जरूरी है।**

			डेपुटेशन पर विदेश मंत्रालय में कार्य किया है। **सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए: डेपुटेशन/पुन: रोजगार** **सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है तथा जिनके पास निर्धारित अपेक्षित अनुभव और योग्यता है, के नामो पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक डेपुटेशन नियम एवं शर्तें प्रदान की जाएंगी, जिस तारीख तक वे सशस्त्र सेवाओं से रिलीज़ के लिए देय हैं, इसके पश्चात वे पुन: रोजगार पर बने रह सकते हैं।**		